न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी :– जय प्रकाश (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या–04 / 2018 प्रार्थना पत्र जागीर

किशनलाल शर्मा पुत्र परमाराम शर्मा निवासी डूंगरवास ग्राम पंचायत सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

हर आम व खास

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री संतोषकुमार मिश्रा

निर्णय **दिनांकः– 18.01.2019**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम डूंगरवास तहसील लक्ष्मणगढ़ में कई वर्षो से मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथजी की पूजा पूर्व पुजारी स्व0 परमाराम पुत्र श्री मनरूपा राम करते आ रहे थे। जो मन्दिर की पूजा अर्चना भोग आदि की व्यवस्था व सेवा आदि करते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 08.04.1987 को हो चुकी है। जिनको देव स्थान विभाग उदयपुर द्वारा 59.96 /–रूपये मिलते थे। स्व0 परमाराम की मृत्यु के पश्चात मन्दिर की सेवा पूजा करने का कार्य किशनलाल पुत्र परमाराम ही कर रहा है। तथा उनके पश्चात् मन्दिर श्री रघुनाथजी की सेवा पूजा व भोग प्रार्थी द्वारा ही चढ़ाया जा रहा है। अतः प्रार्थी के नाम प्रपत्र 12ए जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस एक माह का जारी किया गया। नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया तथा प्रार्थी की ओर से वकील श्री संतोषकुमार मिश्रा ने वकालतनामा पेश किया तथा साक्ष्य के रुप में प्रार्थी किशनलाल ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र 12बी की फोटो प्रति पेश की, जिसके क्लेम संख्या 61 में मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी श्री परमा पुत्र मनरूप अंकित है। ग्राम पंचायत सूतोद द्वारा दिनांक 08.12.2017 को जारी प्रमाण पत्र में मंदिर की सेवा पूजा श्री किशनलाल शर्मा द्वारा करना बताया हैं। उक्त प्रार्थी के अलावा मन्दिर की सेवा पूजा और कोई व्यक्ति नहीं करता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट ली गई। बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पूर्व पुजारी परमाराम पुत्र मनरूपा राम की मृत्यु दिनांक 08.04.1987 को हो चुकी है, जिसके नाम से मन्दिर श्री रघुनाथ जी के पुजारी श्री परमा पुत्र मनरूप को घोषित किया हुआ है तथा प्रपत्र 12बी क्लेम संख्या 61 राशि 59.96 पैसे का जारी किया हुआ है। उक्त समस्त राशि मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम से स्वीकृत है। उज्रदारी नोटिस जारी किये जाने के

Web Copy Not Official

पुजारी स्व0 परमाराम की मृत्यु के पश्चात् श्री किशनलाल ही कर रहा है एवं वर्तमान में मन्दिर का एकमात्र पुजारी है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री रघुनाथ जी के पुजारी परमा पुत्र मनरूप की मृत्यु उपरान्त किशनलाल शर्मा पुत्र मनरूपा राम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम डूंगरवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देव स्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official